

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उप अधीक्षक पुलिस (निलम्बित) रिश्वत मांग प्रकरण में बाद अनुसंधान गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 10 फरवरी, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय स्थित एस.यू. इकाई, जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **जितेन्द्र कुमार जैन (आंचलिया)** उप अधीक्षक पुलिस, (निलम्बित) जिला उदयपुर को रिश्वत मांग प्रकरण में बाद अनुसंधान जयपुर से गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि **जितेन्द्र कुमार जैन (आंचलिया)** उप अधीक्षक पुलिस, (निलम्बित) जमीन के विवाद मामले में रोशन लाल उपनिरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना सुखेर एवं अन्य आरोपियों के माध्यम से अपने पद का दुरुपयोग करते हुये स्वयं तथा अन्य के लिये अनुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा है।

तत्पश्चात् उक्त कार्यवाही के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 507/2022 दर्ज किया जाकर अनुसंधान एस.यू. जयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा प्रारंभ किया गया। आज प्रकरण अनुसंधान अधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न टीमों द्वारा कार्यवाही करके प्रकरण में आरोपियों को दस्तयाब किया गया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में **जितेन्द्र कुमार जैन (आंचलिया)** पुत्र श्री भैरूलाल निवासी गांव पीण्ड, पुलिस थाना निकुम्भ, जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी मकान नं0 73, टैगोरनगर, सैक्टर 4, पुलिस थाना हिरण मगरी, जिला उदयपुर हाल उप अधीक्षक पुलिस, (निलम्बित) को रिश्वत मांग प्रकरण में बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपियों रोशनलाल उपनिरीक्षक, रमेश राठौड़, मनोज श्रीमाली एवं अन्य को निरुद्ध किया जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ एवं उनके ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।